NOTIFICATIONS UNDER METRO RAILWAYS (CONSTRUCTION OF WORKS) ACT.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under the Metro Railways (Construction of Works) Act 1978 :—

(1) The Metro Railways (Construction of works) (Amendment) Rules 1980 published in Notification No GSR 567 (F) in Gazette of India dated the 1st October 1980.

(2) GSR 568 (E) published in Gazette of India dated the 1st October, 1980 containing corrigendum to Notification No GSR 172 published in Gazette of India dated the 3rd February 1979.

(3) The Metro Railways (Construction of Works) (Amendment) Rules 1980 published in Notification No. 79/MTP/CA/5 in Gazette of India dated the 29th September 1980.

[Placed in Liberary *See* No. LT— 1501, 80]

12.12 hrs.

STATEMENT OF PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

SHRI CHANDRAJIT YADAV (Azamgarh) : Sir, I beg to lay on the Table English and Hindi versions of the following statements:—

(1) Statement showing Action Taken by Government on the recommendations contained in Chapter I and final replies in respect of Chapter V of Ninety-fifth Report (Sixth Lok Sabha) on Defence Services.

(2) Statement showing Action Taken by Government on the recommendations contained in Chapter I and final replies in respect of Chapter V of Ninety-sixth Report (Sixth Lok Sabha) on Defence Services.

12.14 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

HARIJAN FAMILIES REPORTEDLY STILL BEING HELD IN BONDAGE IN TAMIL NADU

MR. SPEAKER : Mr. Atal Bihari Vajpayee....Not here. Mr. Dhanik Lal Mandal.

SHRI DHANIK LAL MANDAL (Jhanjharpur) : Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make statement thereon:—

"Reports regarding a large number of Harijan families being still held in bondage in Tamil Nadu."

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): Sir, Government are aware of reports which have mentioned that in Tamil Nadu a number of Harijans families continue to be in bondage. On a recent report of the existence of Harijan Bonded Labourers in Tamil Nadu, the State Government has been addressed and their reply is awaited.

The Hon'ble Members are no doubt aware that the bonded labour system is a pernicious practice rooted in the socio-economic structure prevalent in our rural areas. The Government of India attach the greatest importance to its total and effective eradication. To this end, the Bonded Labour System (Abolition) Ordinance 1975 was promulgated with effect from 25th October, 1975. This was subsequently followed by the Bonded Labour System (Abolition) Act 1976. This is also one of the items in the 20-Point Programme. Under the Act, the State Government is the implementing agency for the identification, release and rehabilitation of bonded labourers and for the enforcement and administration of the Act and the rules framed thereunder. As a result of the efforts made in this regard 1,20,561 bonded labourers have been identified and released from bondage upto 31st October, 1980 according to the reports received from the various Governments including 27,874 in Tamil Nadu. The released bonded labourers are being rehabilitated by the State Governments mainly under their various ongoing developmental and welfare programmes. With a view to supplementing and speeding up the rehabilitation effort of the State Governments, matching assistance is provided by the Government of India under a Centrally sponsored scheme with a Sixth Plan outlay of Rs. 25 crores.

The Government of India maintains continuous touch with the State Governments with a view to expediting the process of further identification of bonded labourers through intensive surveys and securing their early release and rehabilitation. Government are aware that a large number of the bonded labouers belong to the Scheduled Castes and the

[Shri Yogendra Makwana]

Scheduled Tribes. The Government will continue to vigorously pursue efforts for the emancipation of bonded labo rers as speedily as possible.

श्री धनिकलाल मण्डल : श्रीमान्, मेरा जो ध्यान आकर्षण सूचना का प्रस्ताव था वह तमिलनाडू के धर्मपुर जिले के तिरपतूर तालुका कागीराम पट्टी विलेज से संबंधित था और अन्य जगहों से भी संबंधित था, लेकिन खासकरके इसकी ओर इनका ध्यान खींचना था।

महोदय, कागीराम पट्टी में 300 हरिजन परिवारों को बंधुआ मजदूर बनाकर के रखा गया। तिरपतूर तालुका में कोई भी हरिजन सफेद धोती और चप्पल पहन कर नहीं चल सकता है। धर्मपुर और आरकोट जिले में जो भी इस तरह के सामाजिक कार्यकर्ता, जैसे सर्वोदय कार्यकर्ता और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता इस संबंध में पता लगाने के लिए जाते हैं, जांच-पड़ताल करने के लिए जाते हैं, उनको मारापीटा जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और पुलिस उन लोगों का साथ देती है जो इस प्रथा को कायम रखने पर तुले हुए हैं, इससे मेरा संबंध था, लेकिन मंत्री जी का कहीं इस संबंध में जवाब नहीं आया है। यह देखकर के मुझे हैरत भी है और दुःख भी है।

महोदय, इतना ही नहीं सर्वोदय कार्यकर्ताओं को और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं को पीटा गया बल्कि यहां तक बात है कि एक वकील, जिसका नाम भक्त वत्सलम है, जो ऐसे लोगों को मदद पहुंचाते हैं, सहयोग करते हैं, जिन पर पुलिस कार्यवाही करती है, झूठ-मूठ, बड़े लोगों के कहने पर, जमींदार, लैण्डलार्ड और मनी लैण्डर, महाजन और भूमि पतियों के इशारे पर पुलिस उन लोगों पर, इस तरह के मजदूरों पर कार्यवाही करती है, सताती है, उनके कोई एक वकील भक्त वत्सलम साहब हैं जो उनकी मदद करते हैं, उन पर पुलिस ने कार्यवाही की, उन्हीं वकील साहब पर, उनको मारा-पीटा भी और उन पर कार्यवाही की और डेडीवन का केस, राजद्रोह की दफा लगाकर मुकदमा भक्त वत्सलम पर पुलिस ने चलाया है, क्योंकि वे गरीबों की मदद करते हैं,। यह स्थिति है तमिलनाडु की और हमारे मंत्री भाई कह रहे हैं, बयान कर रहे हैं कि बंधुआ मजदूरों को मुक्त करने के लिए स्टेट एजेंसी है और स्टेट क्या कर रही है यह आपको मैंने अभी वर्णन किया यही हाल देश के अन्य भागों में भी है, बिहार में भी है। इसका कारण क्या है ?

अभी महोदय, मंत्री जी ने यह बताया कि इन्होंने कितने मफ़दूरों को आइडेंटीफाई किया, बंधुआ मजदुरों को, 120,561, इनका धन्यबाद है। महोदय एक जो कंजरवेटिव सर्वे है, गांधी पीस फाउंडेशन और इनकी ही एक संस्था है लेबर इंस्टीट्यूशन, गांधी पीस फाउंडेशन और लेबर इंस्टीट्यूशन की मदद से, दोनों के कोलोबरेशन से एक सर्वे किया गया, बंधुआ मजदूरों का, मजदूरों का कंजरवेटिव एस्टीमेट जो है वह है लगभग साढ़े 22 लाख, मोर दैन 2 मिलयिन, यह है उनका और इनका कितना है एक लाख बीस हजार पांच सौ इकसठ। इससे जाहिर है कि राज्य सरकार इसमें दिलचस्पी नहीं लेती है। मंत्री जी कह रहे हैं कि आइडेंन्टीफिकेशन का काम भी राज्य सरकार को ही करना चाहिए, मुक्ति का काम भी राज्य सरकार का है, पुनर्वासित करने का काम भी राज्य सरकार का है, ये केवल उनकी मदद करते हैं और छटी पंचवर्षीय योजना में इन्होंने बस 25 करोड़ रुपया इसके लिए रखा। जो इतनी विशाल समस्या है, उस विशाल समस्या के निदान के लिए इन्होंने 25 करोड़ रुपया रखा है। यह है ऊंट के मुंह में जीरा समुद्र में एक बूंद के बराबर है। खुद इनकी लेबर इंस्टीट्यूट और गांधी पीस फाउन्डेशन ने मिलकर जो सर्वेक्षण किया है उसके हिसाब से साढ़े 22 लाख इनकी संख्या है जब कि मंत्री महोदय कह रहे हैं कि एक लाख 20 हजार मजदूर अभी तक

आइडेंटीफाई किये है । इससे पता चलता है कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में बहुत दिलचस्पी नहीं ले रही है ।

मैं अनेक बार इस सदन में कह चुका हूं कि राज्य सरकारों और प्रशासन का जो बायस है वह हाई कास्ट्स और हाई क्लासिस के प्रति है और उसको दुरुस्त करना होगा । लेकिन ये उसके सम्बन्ध मे कोई कदम उठा रहे हैं । न हरिजनों को, न आदिवासियों को, न पिछड़े वर्गों को, न महिलाओं और मुसलमानों को ये प्रतिनिधित्व दे रहे हैं । इनके खिलाफ यह बायस होना चाहिये । ये लोग, क्रास सैक्शन के लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आयें, सभी का प्रशासन प्रतिबिम्ब बने पूरे देश का आइना बने तो आप देखेंगे कि सभी की छवि उसमें निखर कर सामने आएगी ।

यह स्थिति क्यों बनी ? ग्रामीण अंचलों में जो सामाजिक आर्थिक ढांचे की बनावट है इसकी वजह से यह सारी बात होती है और 35 साल से जो योजनायें इन्होंने चला रखी हैं उन्होंने इस ढांचे को और भी मजबूत किया है, कमजोर नहीं किया है । इनकी योजना का लाभ इन्हीं वर्गों, इन्हीं समुदायों को मिला है । मंत्री महोदय ने स्वयं फरमाया है कि हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे की वजह से हरिजनों और कमजोर वर्गों के लोगों और खास कर खेत मजदूर की श्रेणी के लोगों की परेशानी बढ़ी है । आपकी योजना का लाभ भी इन्हीं लोगों को, इन्ही समुदायों के लोगों को मिला है । आपकी खुद की कार्रवाई से वह वर्ग जो इस तरह के अत्याचार, उत्पीड़न, दोहन, दमन, आतंक, जुल्म ढहा रहा है वह कहीं मजबूत तो नहीं हो रहा है, इसको भी आप देखें ।

मैं गरीबों की दुःखभरी गाथा आपके सामने रख रहा हूं । आप तो खुद मानते हैं और आपने बार-बार कहा भी है कि इस देश में जो भी घटना घटती है, उसकी गूंज यहां होनी चाहिये उसकी प्रतिध्वनि यहां होनी चाहिये । मैं गरीबों की गाथा आपको सुना रहा हूं । मंत्री महोदय कान खोल कर सुन लें । घबराने की कोई बात नहीं है । सरकार द्वारा जो कार्रवाई की जा रही हैं उससे यह प्रथा और मजबूत होती जा रही है । ऐसा क्यों हुआ ? परकार ने जो योजना चलाई उसमें ग्रामीण अंचलों की उपेक्षा की । विल्लेज सैक्टर रूरल सैक्टर की तरफ योजनाओं का ध्यान नहीं गया । 35 साल में बड़े-बड़े शहर सरकार बनाती रही, बड़ी-बड़ी कार्रवाई करती रही । सरकार कह देगी कि उसने बोकारो बनाया, सिंदरी बनाई, यह बनाया, वह बनाया । लेकिन ग्रामीण अंचलों का उसने विकास नहीं किया । गांव आज वैसे के वैसे हैं । महात्मा गांधी अभी लौट कर भारत में आ जायें तो वह देखेंगे कि उन्होंने जिस तरह के गांवों को देखा था, वे वैसे के वैसे आज भी हैं । क्या यह गांधी जी की सेवा इन्होंने की है ? गांवों में इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है ।

ग्रामीण अंचलों में जो थोड़ा बहुत टैक्नोलौजिकल डिवेलेपमेंट की वजह से या और दूसरी वजह से विकास हुआ है उसका भी लाभ गरीबों को वहां कतई नहीं पहुंचा है । जो थोडा बहुत विकास खेती में तथा दूसरी चीजों में हुआ है, उसमें खेत मजदूर को गरीब वर्ग का भी हिस्सा मिले, उसको भी उसका शेयर मिले, इसके लिए सरकार ने कुछ कार्रवाई नहीं की है । मैं ग्रामीण अंचल के लोगों के बारे में जानना चाहता हूं कि वहां के लोगों के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की जिससे गरीब वर्ग के लोगों की हालत सुधरती ? यहां अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बहुत बात होती है, बोंडेड लेबर को खत्म करने की बात होती है, प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स को इमप्लीमेंट

[श्री धनिक लाल मंडल]

करने की बात होती है और मंत्री लोग यहां रोज आश्वासन भी देते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब तक आप इनका संगठन नहीं बनायेंगे तब तक गरीब लोग यह सारे अधिकार नहीं ले पायेंगे। ग्रामीण अंचल में जो हरिजन, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, औरत और दूसरे धर्मों के अल्पसंख्यक लोग हैं इनको आज भी अधिकार नहीं मिल रहे हैं, इसलिये क्योंकि इनका कोई संगठन नहीं है। . . .

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल कीजिये।

श्री धनिक लाल मंडल : मैं एक मिनट और लूंगा। और जैसा आप कह रहे है सवाल ही कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इनका संगठन बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं?

इस देश में सबने अपना संगठन बनाया हुआ है और नेशनल केक में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए सब आगे आ जाते हैं। बड़ी-बड़ी तनख्वाह पाने वाले लोग आये दिन हड़ताल करते हैं अपनी कंडीशन आफ सर्विस बेहतेर बनाने के लिए। लेकिन इन अभागों के लिए क्या है जो अन-आर्गेनाइज्ड लेबर है जिसमें बंधुआ मजदूर हैं? उनके संगठन के लिए कभी इनका ध्यान नहीं गया।

अध्यक्ष महोदय : हमारे पंजाब में एक कहावत है कि पंचों का फैसला सर माथे पर, परनाला यहीं गिरेगा।

श्री धनिक लाल मंडल : इस घटना के बाद पुलिस ने जोर जुल्म दिखाया और 500 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, और एक को नक्सलवादी के नाम पर गोली से उड़ा दिया। हम बहुत दिल थाम कर रखते हैं नहीं तो यह सदन उड़ जाएगा। इन बेचारों के साथ बड़े अन्याय हो रहे हैं। क्या यह बात सही नहीं है कि इनकी रीयल वेज घट गयी? सरकार बड़े पैमाने पर इन लोगों को उठाने के लिए क्या कर रही है? आप स्पेशल कम्पोनेंट प्लान की बात करते हैं, हरिजन डेवलपमेंट कोरपोरेशन की बात करते हैं, फूड फार वर्क की बात की, अंत्योदय की बात की। मैं पूछना चाहता हूं कि इसको कब तक आइडेंटीफाई करके आप इस समस्या का हल निकालेंगे?

अध्यक्ष महोदय : आप सारे मेरे साथ सहयोग करेंगे तब तो काम चलेगा। अगर इस तरीके से सवाल करें जिसमें एक सवाल में संसद का 15 मिनट से भी ज्यादा समय लग गया, यह अच्छा नहीं लगता।

श्री धनिक लाल मंडल : माननीय, यह बहुत बड़ा सवाल है, करोड़ों लोगों का सवाल है।

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, I have seen the Calling Attention motion given by the hon'ble Members. It is regarding a large number of Harijan families being still held in bondage in Tamil Nadu. Therefore, I have said in the beginning of my statement that I have called for the information from the State government of Tamil Nadu and I am awaiting the reply from the State government.

AN HON. MEMBER : Why there is delay ?

SHRI YOGENDRA MAKWANA : Only yesterday we were informed at about 12·30 and we immediately....

MR. SPEAKER : No, Sir. You ask from your office. The State Government should reply.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: It is a practice with the State Governments. They are not supplying the information. It happened in the case of....

SHRI CHANDRAJIT YADAV (Azamgarh): Sir, the Minister should not make such a general statement. (*Interruptions*)

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, I have to say that in the last session also I pointed out that the State Government has not supplied information.

We have requested but the State Government has not supplied the information.

MR. SPEAKER : State Government should be made to realise it.

(*Interruptions*)

SHRI YOGENDRA MAKWANA : Sir, I do not understand why the hon. Members are annoyed. I don't know. (*Interruptions*) I simply pointed out this only to substantiate that the State Governments are in many cases not promptly supplying the information. They do supply, but they take some time.

MR. SPEAKER: They should send information to this House and they should be made to realise their responsibility. I don't like it.

SHRI YOGENDRA MAKWANA : Therefore, I have requested the State Government. I will again ask them to send it immediately.

MR. SPEAKER: Tell them. Convey the displeasure of the House.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Right, Sir. Sir, the hon. Member has raised many questions where we want his cooperation. One question which he put is about the advantages of this Planning and the benefit of these plans. He said that the benefit of these plans has gone to the rich class of society. Therefore, in this regard, we have now evolved a new pattern of Planning in which we evolved a special Central Assistance scheme so that the State may invest more for the poor people. At the same time, not only we are interested in giving money, but, at the same time. Sir, we are interested in the implementation of the programmes. Therefore, for the first time, as a Minister, I have been moving from State to State, meeting the officials, not only the Ministers. I had meeting with the State officials in each and every State, discussed the Plan, and we saw how they are implementing the programmes. I have visited the places also. I myself have visited them. In Madhya Pradesh I have visited Vidisha, where I supervised the work done by the project Officer. We are keen about it. But, at the same time, the question of 'bonded labour, is a unique problem. It is very difficult to identify it. In many cases, it so happens, when they are identified they are given jobs also. They are provided with some work. But they always went to the original landlords again. They have a tendency to go and stay with them. That is also there. But, Sir, if we provide job and rehabilitation, that is, proper wages and provide them accommodation, then, I think they will not go. That progamme has been taken up on a large scale by the Government. But, as the hon. Member has pointed out rightly, the State is the agency. I said, the State is the agency for implementing this programme. Now, the Central Government cannot go to each and every State, and implement the programme. On money part we can help and we are helping. But the State Government has to implenent it. And there, at the same time, we can keep a vigil. We on our part can go and supervise the project and we can guide the State Governments.

SHRI DHANIK LAL MANDAL: You can also get the aid of the voluntary organisations. You can seek their help.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I am coming to it. We are taking their help. You please hear me. You have taken a long time. Let me have my say (*Interruptions*) He said about voluntary organisations. We welcome all the voluntary organisations who are prepared to help in this matter. This is a field where we invite competition in the country. There is no question of stopping anybody to compete in this respect. I would like to request the Member about this ; I would like to invite his attention also about the recent agitation going on against the scheduled castes. Do you know ? There was a rally on Boat Club recently two or three days back. They were all agitated about the reservations. In many High Courts writ petitions were filed against the promotion of the Scheduled Caste officers and recently the Supreme Court gave a judgement. Even then there was one High Court which had given judgement against this. So, this is the climate created in this country. So, it is only the social workers who can help us and as a social worker, I requested the hon. Member to help us in this regard and to work as brothers, not to shout slogans and agitate over the issue of reservation.

Now, he has pointed out about the Organisations of the Scheduled Castes, bonded labour and Scheduled Tribes. We are very much interested in them. We requested the voluntary organisations also and apart from my official capacity , as a social worker, I have also one organisation with me. I also move from State to State for that work and we are interested in organising them. But at the same time there are certain elements in this country. They are not interested in the Welfare of the poor people, they are not interested in the welfare of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and in the bonded labour

[Shri Yogendra Makwana]

because there is a vested interest. They are getting labour at cheaper wages and on cheaper wages they are getting their work done. In Tamil Nadu, as Prof. Kurien, who has written an article in the Economic Weekly, has rightly—pointed out, there are labours more in number and there is no dearth of labours in Tamil Nadu. They are easily available there. They are getting less wages. He has also pointed out that there is a tendency on the part of the landlords to manipulate the land rules in order to keep the lands of the small farmers. Now, these are the problems which we are facing. Therefore, in my Ministry, we have created a Cell, that is, Research andPolicy Division. In my own Ministry, I had asked them in October 1980 to prepare a paper on this after studying the problem and suggest ways and means. The final report will come out and we will examine it. We will request the State Government to act on it. He has pointed out about the harassment of some 500 persons. I have requested the State Government to look into it. As soon as information on this is received from the State Government, I will place it on the Table of the House or I will come up with a Statement.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने आपसे मिल कर कहा भी था, स्टेट गवर्नमेंट्स कभी जवाब नहीं देंगी ।

अध्यक्ष महोदय : तभी तो यह बन्दोबस्त किया है ।

श्री राम विलास पासवान : स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में दो तरह की बातें हैं । कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के सम्बन्ध में कहेंगे कि यह हमारे जिम्मे से बाहर की बात है । कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स होम मिनिस्ट्री को कुछ समझती ही नहीं है । वहां के चीफ़ मिनिस्टर समझते हैं कि हम नामिनेडिड हैं, हम एक व्यक्ति के प्रति वफ़ादार हैं, होम मिनिस्टर और होम मिनिस्ट्री क्या बला है । यदि मकवाना साहब कहें—, वह कहेंगे नहीं तो मैं उन्हें प्रूफ दे सकता हूं ।

हरिजन-आदिवासियों और बंधुआ मजदूरों का विषय होम मिनिस्ट्री के अन्तर्गत है । उनका भला कैसे होगा, यह मैं आप पर छोड़ता हूं । यह नहीं होने वाला है । जब किसी का उत्तरदायित्व तय किया जाये, कोई अपनी जवाबदेही को समझे, तभी समस्या का निदान हो सकता है । कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 23 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है :—

"23. Prohibition of traffic in human beings and forced labour :—(1) Traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of the provision shall be an offence punishable in accordance with law."

इसके बावजूद यह काम धड़ल्ले से चल रहा है । शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के कमिश्नर की रिपोर्ट में शुरू से आख़िर तक रीकमेंडेशन्ज़ दी गई है । मकवाना साहब होम के स्टेट मिनिस्टर हैं और उसी कम्युनिटी से आये हैं । उनका मंत्रालय कहता है कि 1,20,000 बंधुआ मजदूर हैं । यह इन का कहना है । लेकिन जो वालंट्री आर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें गवर्नमेंट का भी आ जाता है, गांधी पीस फाउंडेशन भी है, वह जाते हैं और रिपोर्ट ले आते हैं । वे यह बतला देते हैं कि किस किस प्रदेश में कितने कितने बंधुआ मजदूर हैं और उन्होंने बतलाया है कि तामिलनाडु में ढाई लाख बंधुआ मजदूर हैं, उत्तर प्रदेश में साढ़े पांच लाख हैं, मध्य प्रदेश में 5 लाख, आन्ध्र प्रदेश में सवा तीन लाख, बिहार में पौने दो लाख, कर्नाटक में दो लाख और राजस्थान में 1 लाख बंधुआ मजदूर हैं । और यह अखबार की कटिंग है, सितम्बर महीने का अखबार है, इस में लिखा है कि गुजरात में पौने दो लाख बंधक मजदूर हैं । इसी तरह से पलामू में जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, उस एक डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख बंधुआ मजदूर हैं । सारी की सारी रिपोर्ट इससे भरी पड़ी है । लेकिन सब से बड़ी बात यह है कि कहीं न कहीं किसी न किसी के ऊपर उत्तरदायित्व हो, नीयत साफ हो तो यह सारी चीज हो सकती है ।

इन के 20 राज्य हैं । बीस राज्यों ने कह दिया कि हमारे यहां बंधुआ मजदूर नहीं हैं

और जब कोई इन्वेस्टिगेशन करने जाता है तो वहां पर बंधुआ मजदूर निकल आते हैं, गांवों में निकल आते हैं और हजारों की तादाद में निकल आते हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि बहुत डिफिकल्ट टास्क है बंधुआ मजदूरों का पता लगाना। लेकिन मैं कहता हूं कि यह बहुत आसान काम है। मगर सब से बड़ी बात है कि जिस अफसर को ये डेप्यूट करते हैं उस काम के लिए वह अफसर जरा ऐसा हो कि जिसके दिमाग में गरीब के प्रति, हरिजन और आदिवासी के प्रति, बंधुआ मजदूरों के प्रति दुख दर्द हो।

हिन्दुस्तान अखबार 3-8-80 का देखिए, उसमें ये आंकड़े दिए हैं। उसमें लिखा है कि एक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार, आन्ध्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में कुल कृषि मजदूर निकले 3 करोड़ 70 लाख और बंधुआ मजदूर उसमें हैं 21.7 लाख। उसमें हरिजन और आदिवासी 84 परसेंट हैं। यानी जितने बंधुआ मजदूर हैं उनमें 84 परसेंट शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के हैं।

कुमारी कमला कुमारी जी यहां इस समय नहीं हैं। वह मंत्री बन गई है। उनकी जो कांस्टीच्यूएंसी हैं वहां आदिवासी लोग भूख के मारे सवेरे सवेरे उस कीड़े को जो लाइट के ऊपर पतंगा उड़ता रहता है, और गिर कर मर जाता है, उसको बटोर कर ले जाते हैं, और भूनकर खाते हैं। यह है वहां की गरीबी की स्थिति और बंधुआ मजदूरों के सम्बन्ध में तो यह पूरी की पूरी फाइल रखी हुई है। शेड्यूल्ड कास्ट् कमिश्नर की रिपोर्ट में उन्होंने स्थान का नाम तक दिया हैं कि कहां कहां, कौन कौन इलाके हैं जहां उन्हें जबर्दस्ती पकड़ कर ले जाया जाता है। बिहार से हरिजन आदिवासियों को पंजाब में ले जाया जायगा और उसको पकड़ कर घर में बन्द कर के रखा जायगा। वह बांडेड लेबर जो सवेरे सवेरे अन्धेरे में निकालता है और रात होने पर खेत से आता है, कभी जिसने अपने जीवन में सूर्य को नहीं देखा है, जिसने कभी जीवन के उजाले को नहीं देखा है क्या मकवाना साहब कभी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि वह अपने जीवन में सूर्य का भी दर्शन कर सके? आजादी के 32 साल बाद भी आज यह स्थिति है। यही रोना रो रहे हैं कि सरकार कैसे पता लगावे? सरकार कहती है कि किस तरीके से पता लगे? मैं कहता हूं कि हम लोगों के पास में नीयत का अभाव है। मकवाना साहब को मालूम नहीं है कि चाहे तामिलनाडु हो या कोई और प्रदेश हो, वहां क्या स्थिति है। तमिलनाडु के सम्बन्ध में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वहां जितने बंधुआ मजदूरों की हत्याएं की जाती हैं, बिहार में जितने बंधुआ मजदूरों की नक्सलाइट के नाम पर हत्याएं की जाती हैं उन सब के साथ जमीन का मामला और बंधुआ मजदूरी का नाम जुड़ा हुआ है। बंधुआ मजदूर का मतलब क्या है, बन्धक मजदूर, आनी आप ने लिया था दस रुपये और बेटा पोता सब उसी पर काम करते जा रहे हैं। हम ने ले लिया एक रुपया या कभी बीमारी में एक टेबलेट खिला दिया और अब उसी के एवज में जीवन भर हमसे काम लिया जा रहा है। अगर हम अपोज करेंगे तो बड़े-बड़े लोगों की सांठ-गांठ पुलिस से और ऐडमिनिस्ट्रेशन से है, हम को और हमारे परिवार को गोली से उड़ा दिया जायगा और कह दिया जायगा कि वह नक्सलाइट हैं। नक्सलाइट एक ऐसा हौवा हो गया है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। नक्सलाइट के नाम पर कुकर्म हो रहे हैं। गरीब आदिवासी हरिजन को दबाने का और उस को उसके अधिकार से वंचित करने का यह एक नया तरीका निकल गया है।

इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि स्थिति बहुत भयावह है। गरीब भादो का जो महीना होता है, जुलाई, अगस्त का, उसमें भीगता है, जाड़े में हम तोशक तकिया लगा

[श्री रामविलास पासवान]

कर सोये रहते हैं और वह ठण्ड से ठिठुरता हुआ 4 बजे सवेरे हल लेकर खत पर जाता है और खेत जोतता है। रात में हमारी मां बहन जब जाड़े से ठिठुरने लगती हैं तो खुद नंगी होकर अपने बच्चे के ऊपर कपड़ा ढक देती हैं ताकि वह जाड़े को बर्दास्त कर सके। गर्मी की चिल चिलाती धूप में वह गरीब अपने खून को पसीने के रूप में बह कर सारे देश के लिए उत्पादन करता है। एक तरफ उसका खून पसीना बनता है, दूसरी तरफ पैसे वाले उसको लूट कर के ले जाते हैं उसकी हत्या करवा देते हैं। मकवाना साहब बताएंगे कि क्या इस देश में कभी तबदीली आएगी ?

अन्त में मैं मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया था कि एक तिमाही रिपोर्ट, प्रत्यक तीन महीने में, बंधुवा मजदूरों का पता लगाने के सम्बन्ध में भेजी जाए ? यदि ऐसा निर्देश दिया गया था तो किन-किन राज्य सरकारों ने उसका पालन किया और किन-किन राज्य सरकारों ने पालन नहीं किया ? वह कौन कौन राज्य हैं जिन्होंने रिपोर्ट भेजी है और किसने नहीं भेजी है ?

दूसरी बात मैं यह जानता चाहता हूं कि 1976 में जो कानून बंधुवा मजदूरों के सम्बन्ध में बनाया था उसके तहत 1976 से लेकर अब तक कितने लोगों को सजा दी गई है ?

तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि बंधुवा मजदूरों के पुनर्वास के लिये, उनके उत्थान के लिए, उनकी नौकरी तथा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में आपने क्या प्रावधान किया है ?

SHRI YOGENDRA MAKWANA : Sir, in the beginning, I said about the delay. Sir, I have received information that we had called the information on 2nd. On receipt of the information from Lok Sabha Secretariat, immediately we contacted the State Government on 2nd of December and them on telephone also several times and the Secretary of the State Government is here whom we also contacted . But no information, is received so far. I will remind them again.

The Honorable Menber has said that Gandhi Peace Foundation has found out 22.4 lakhs of bonded labourers in this country.

Sir, these are non-official figures. But as I pointed out earlier, the State Government is identifying and after identifying, they rehabilitate them.

So far, as I said, 1,20,561 bounded labourers are identified. There may be many more. I agree with the Honourable Members that there are many more bonded labourers than the number of what is identified by the State Governments but, as I said, it is very difficult to identify the bonded labourers and even after identification, some times they go with the original land-lords and they settled with them.

So, Sir, I would like to request the Hon. members, if they are in a position to identify any bonded labour, well, they are welcome, they can suggest to the State Government that here is the Bonded labour , you take care of it, and if the State Government does not take care of that, then, let them inform me, I will ask the State Government to take care of those bonded labourers.

श्री राम विलास पासवान : आप एक कमेटी बनायें, स्टेट गवर्नमेन्ट पर आप क्यों छोड़ते हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : इसलिए कि यह स्टेट का मामला है। हर मामले में हम सेन्टर से कोई कमेटी नहीं बना सकते हैं लेकिन हम जरूर स्टेट गवर्नमेंन्ट्स पर इस मामले में दबाव दे रहे हैं और कहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी करना चाहिए।

जहां तक अफसरों की बात कही गई, मैं मानता हूं कि कई अफसर ऐसे भी हैं जिनके दिल में दिलचस्पी नहीं है लेकिन इसके माने यह तो नहीं कि सभी अफसर ऐसे हैं। हमारे पास ऐसे भी अफसर हैं जिनके दिल में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे से भी ज्यादा हमदर्दी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए है हांलांकि वे स्वयं हरिजन या

ट्राइबल नहीं हैं। जहां तक उनके दिलों को चेंज करने की बात है यह हम सब मिलकर कर सकते हैं, अकेले सरकार नहीं कर सकती है।

राज्यों की रिपोर्ट के बारे में जो पूछा गया है, मैंने पहले ही बताया कि स्टेट गवर्नमेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे ही रिपोर्ट आयेगी वह हाउस के सामने रख दी जायेगी।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैंने तीन प्रश्न पूछे थे, एक का भी जवाब नहीं आया।

मैंने पूछा था क्या केन्द्रीय सरकार ने बंधुवा मजदूरों का पता लगाने के लिए राज्य सरकारों को तिमाही रिपोर्ट भेजने के लिए लिखा है? यदि लिखा है तो किन राज्य सरकारों का जवाब आया और किनका नहीं आया? मैंने यह भी पूछा था कि कितने लोगों को सजा दी गई है और छठी योजना में क्या करने जा रहे हैं?

श्री योगेन्द्र मकवाना : 25 करोड़ रुपया छठी योजना में दिया है। आपने कहा कि राज्य सरकार को लिखा था—हां, लिखा था। क्या लिखा था, वह हमने लिखा था और उसका जो जवाब आया वह भी मैंने बताया। मैंने टोटल बताया है, यदि कोई सदस्य चाहें तो मैं इन्डिविज्युअल बता सकता हूं कि इन राज्यों ने आइडैंटिफाई किया है। मैंने पहले ही बताया यह मामला बहुत गम्भीर है। ऐसा हो सकता है कि इमीडियेटली न हो सके। इसके आंकड़े इस प्रकार हैं : आन्ध्र प्रदेश 12,702; बिहार 4,208; गुजरात 42; कर्नाटक 62,689; केरल 700; मध्य प्रदेश 1,531; उड़ीसा 333; राजस्थान 600; तामिलनाडु 27,874; उत्तर प्रदेश 4,450।

These are the figures supplied by the State Governments. So far as rehabilitation of these labourers is concerned, 94,740 have been rehabilitated. Even then we have requested the State Governments to supply information. I have replied to all the three questions put by the hon. member.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, बन्धुवा मजदूरों की समस्या हमारे देश में एक बहुत ही बड़ी गम्भीर समस्या बन गई है। हमारे पूर्ववक्ताओं ने इस कहानी के बारे में काफी कुछ विस्तार से कहा है। माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि बन्धुवा मजदूरों की समस्या को समाप्त करना भी 20-सूत्री कार्यक्रम के मुद्दों में से एक है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले कई बरसों से 20-सूत्री कार्यक्रम के नाम पर आप लोग वोट बटोरने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप की सरकार ने आज भी कुछ नहीं किया है ... (**व्यवधान**) ... मैं यह कहना चाहता हूं कि आज बन्धुवा मजदूर राक्षसी बर्बता और उत्पीड़न से कराह रहे हैं। इसकी कुछ कहानियां अखबारों के माध्यम से हम लोगों के सामने आई हैं। आपको मालूम होगा कि राजस्थान के जिले के कुछ बन्धुआ मजदूरों के परिवारों को सोनीपत जिले में हरियाणा में भेजा गया। इन लोगों को ईंट का भट्टा चलाने वाले लोग लेकर गए थे, यह कह कर के कि पांच रुपए रोज आप को मजदूरी देंगे। लेकिन ले जाने के बाद उनके साथ तमाम अत्याचार किया गया, उनको मजदूरी नहीं दी गई। महिलायें, पुरुष और उनके बच्चे दिन भर सवेरे से लेकर रात तक काम करते थे और रात को उनके साथ अत्याचार भी होता था—इस तरह से ये तमाम चीजें होती थी। बाद में एक भट्टे वाले ने दूसरे भट्टे वाले को कुछ रुपया लेकर उनको बेच दिया और उसने उनको और भी ज्यादा प्रताड़ित किया। इस प्रकार यह सिलसिला तीन वर्षों तक चलता रहा। बाद में जब पता चला तो उनको छुड़ाया गया। ये सब चीजें अखबारों के माध्यम से हम लोगों की जानकारी में आई, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया। जो कुछ किया है, वह इतना

[श्री हरीकेश बहादुर]

नाकाफ़ी है, इतना अपर्याप्त है कि हम कह सकते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया है ।

अभी तमिलनाडु में सुनने में आया कि वहां पर हरिजन परिवार के लोग सफेद धोती पहनकर नहीं चल सकते हैं, अगर वहां पर चले तो उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है । नक्सलाइट आन्दोलन की बात की जाती है जो लोग शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ना चहते हैं, उनको नक्सलाइट कह कर मार दिया जाता है । मैं स्पष्ट शब्दों में आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की बर्बरता और उत्पीड़न चलता रहा, शोषण की प्रक्रिया चलती रही, तो पूरा देश नक्सलाइट हो जाएगा और इस देश में कोई नौजवान नहीं होगा जो नक्सलाइट न हो जाये । आज जो लोग लोकतंत्र में आस्था रखते है और हम लोग लोकतंत्र की वकालत करते हैं, उन्हें भी मजबूर होकर कहना पड़ेगा कि इस व्यवस्था को खत्म करो, क्योंकि यह व्यवस्था शोषण की व्यवस्था है, उत्पीड़न की व्यवस्था है, अत्याचार की व्यवस्था है और बर्बरता की व्यवस्था है । आज तमाम लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे है, खाने को नहीं मिल रहा है, रोटी नहीं मिल रही है, पहनने को कपड़ा नहीं मिल रहा है । जो लोग उनकी समस्याओं को उठाते हैं, उन को नक्सलाइट के नाम से गोलियों से उड़ा दिया जाता है । क्या कभी सरकार ने सोचने की कोशिश की है कि लोग नक्सलाइट क्यों बनते हैं ? मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि आज नक्सलाइट की समस्या बहुत गम्भीर समस्या है और हम ही नहीं, हमारे जैसे बहुत से लोग हैं करोड़ों लोग हैं, जिन की सहानुभूति उनके साथ है । मैं समझता हूं सरकार में बैठे हुए लोगों के मन में भी उन के प्रति सहानुभूति होगी । जो लोग इस किस्म की गतिविधियों में लगे हुए हैं—उन की समस्याओं पर विचार करने की आवश्यकता है ।

अभी मंडल जी ने जिस वकील का जिक्र किया, जिसने उनकी नक्सलाइट की, वकालत की थी, उस वकील के खिलाफ भी वहां की पुलिस ने कार्यवाही की है । बजाय इसके कि उनको मुक्त किया जाता, उल्टे राजद्रोह में वकील के खिलाफ मुकद्दमा चलाया गया । लोकतन्त्र में भुखमरी, भ्रष्टाचार, और शोषण नहीं चल सकता । लोकतन्त्र के चलत यदि भुखमरी रहेगी, शोषण रहेगा, भ्रष्टाचार रहेगा, अत्याचार होते रहेगे, तो लोकतन्त्र से लोगों की आस्था समाप्त हो जाएगी । यदि सरकार लोकतन्त्र की रक्षा करना चाहती है तो इन गरीबों को उत्पीड़न से बचाना होगा । पुलिस के प्रशासक मुख्य रूप मे सामन्तवादी परिवारों से आते हैं, सामन्तवादी प्रकृति उन के अन्दर कूट-कूट कर भरी होती है तथा घमंडी और अत्याचारी होते हैं । उन्हें कोई मतलब नहीं कि हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक समस्या क्या है । अगर सरकार भी इन गरीब लोगों की तरफ से मुंह मोड़ ले, तो निश्चय है इन लोगों पर अत्याचार होगा । इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप निर्देश दें कि इस समस्या को सहानुभूतिपूर्वक विचार करक निबटाना चाहिये ।

तामिलनाडु में मनी-लेंडिंग की समस्या बहुत ज्यादा है । जो लोग कर्जा देते हैं वे 200 से 300 प्रतिशत तक सूद वसूल करते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इस सूद को कम करने के लिये आप क्या करना चाहते हैं ? आप ने कहा था, 20-सूत्रीय कार्यक्रम के पहले, जो कर्जे दिये गये उन्हें माफ कर दिया जाएगा । क्या वजह है कि वे अभी तक माफ नहीं हुए हैं और उन पर 200 से 300 प्रतिशत तक सूद लिया जा रहा है ?

केन्द्र सरकार की राज्य मंत्री श्रीमती राम दुलारी सिन्हा ने राज्य सभा में बताया था कि 22.4 लाख बाण्डेड लेबर इस देश में हैं जिन में 66 प्रतिशत शेड-यूल्ड कास्टस के हैं और 18.3 प्रतिशत शेडयूल्ड ट्राइब्स के हैं। गांधी पीस फाउण्-डेशन ने बताया कि उन की संख्या 28 लाख के करीब है लोक सभा में एक सर्वे-क्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उस में बतलाया गया है कि आन्ध्र प्रदेश में, जहां आप की सरकार है, 3 लाख 25 हजार है, बिहार में 1.11 लाख, कर्नाटक में 1.93 लाख, मध्य प्रदेश में 4.67 लाख, महाराष्ट्र में 1.05 लाख, राज-स्थान में 0.67 लाख तथा यू० पी० में 5.55 लाख हैं। ये सब वे राज्य हैं जिन में आप की पार्टी की सरकारें हैं। इसी तरह से तमिलनाडु में 2.50 लाख हैं। इस प्रकार की स्थिति सारे देश में व्याप्त है।

कान्ट्रक्टर्स इन लोगों को खरीद कर बिहार और दूसरे राज्यों में ले जाते हैं एक दफा सरकार ने राज्यों से पूछा भी था कि क्या आप के यहां ऐसे बाण्डेड लेबर भेजे जाते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्यों से आप को इस का उत्तर मिला? यदि नहीं मिला, तो आप कब तक इन बन्धुआ मजदूरों के बारे में पता लगायेंगे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आप कब तक इन को शोषण से मक्त करायेंगे, आप का सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जाएगा इस सम्बन्ध में आप अपना स्पष्ट टाइम-बाउण्ड प्रोग्राम बता-इये कि कितने दिनों के अन्दर आप इस काम को समाप्त करेंगे तथा उन को मुक्त करा लेंगे?

जहां तक उनके आवास की समस्या है, पढ़ाई-लिखाई और रोजगार की समस्या है इसके बारे में सरकार अभी तक कुछ नहीं कर सकी है। आप ने कहा है कि 1982 तक आप केवल 27 हजार लोगों को आवास की सुविधा दे पायेंगे—यह बहुत ही कम है। जिस देश में 28 लाख बाण्डेड-लेबर हो, वहां केवल 27 हजार को आवास की सुविधा दें, यह कुछ भी नहीं है इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि आप इस दिशा में क्या कदम उठा रहे है? कब तक आप इन का पता लगायेंगे और कब तक इन के रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था करेंगे?

श्री योगेन्द्र मकवाना: मैंने पहले ही बताया है कि यह मामला बहुत कठिन है और ये जो आंकड़े हमारे पास आते हैं ये सब एस्टीमेट्स हैं। . . (**व्यवधान**) . .

According to a preliminary estimate of the general survey of the Gandhi Peace Foundation and the National Labour Institute, the figure is 22.44 lakhs. This is an estimated figures, a preliminary estimation. Now it is very difficult to identify and say what action is taken for the liquidation of their bonded labour and this work is done by the Ministry of Labour. They are doing it, we are also helping the Ministry of Labour in this work.

(*Interruptions*)

We are also doing it. It is taken up by the Government of India on a large scale. As I said, hon. Member has said something about 20-Point Programme. Under the 20-Point Programme much work was done and later on it was also undone by some people. You know better than what I know about it.

(*Interruptions*)

The hon. Member has said that nothing was done.

(*Interruptions*)

I will put it in other words. The Government is not satisfied which what we have done in this direction. We had done something. But we are still not satisfied, because enough has not been done. Hon. member say they are not satisfied with the work which is done by the Government. We are dissatisfied with it ourselves and therefore there is no hesitation

[श्री योगेन्द्र मकवाना]

on the part of the Government to identify and locate the problem and to rehabilitate them.

13 hrs.

Sir, hon. Member has pointed out about the brick kiln workers. It is a fact such incidents happen. In the past also they happened and the Government has taken some action. Therefore, to regulate the working of the brick kiln workers and provide welfare facilities the Inter-State Brick-Kiln workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 and its rules have been enacted with effect from October, 1980. We have taken up the matter with owners of the brick kilns and other people.

Sir, the question of money lenders is also a problem and for that in the past also the Government has taken some steps and we are working on these lines to see that these people are freed from the clutches of the money lenders.

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : अध्यक्ष जी, मैं आंकड़ों पर नहीं जाना चाहूंगा और न ही मकवाना जी के इस जवाब पर क्योंकि जवाब को पढ़ने के बाद यह महसूस हुआ है कि जवाब जो दिया गया है वह सिर्फ जवाब के लिए दिया गया है और इस समस्या पर गहराई से सोचने या उस का कोई हल निकालने के लिए शायद नहीं दिया गया है ।

जहां तक इस समस्या का सवाल है, यह समस्या कोई नई नहीं है बल्कि हजारों साल से यह समस्या हमारे मुल्क में चल रही है और इसी समस्या के बारे में बाबा साहेब डा० अम्बेडकर ने गोल मेज कान्फ्रेन्स के अन्दर यह बात कही थी कि हिन्दुस्तान की आजादी के माइने तब तक कुछ नहीं होंगे जब तक इस देश के करोड़ों लोग, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरह से पिछड़े हुए हैं, इसी तरह से पिछड़े रहेंगे । अंग्रेजों के हिन्दुस्तान से जाने के बाद यह गारेन्टी हो कि यहां के करोड़ों लोगों को सामाजिक और आर्थिक आजादी भी मिलेगी । इस बात को उन्होंने कहा था कि यह गारेन्टी अगर उन लोगों को मिल जाए, तो हिन्दुस्तान से अंग्रेजों को वापस आना चाहिए और दूसरी बार संविधान बनाने का काम जब हिन्दुस्तान के लोगों ने संविधान सभा को सौंपा था, तो बाबा साहेब डा० अम्बेडकर ने फिर यह बात दोहराई थी कि अगर यहां के लोगों को सामाजिक और आर्थिक आजादी नहीं दी गयी तो जो देश के लोगों को आजादी मिली है वह बिल्कुल अर्थविहीन हो जाएगी । इस के बिना आजादी के कोई मायने नहीं होंगे । इसलिए इस समस्या पर सोच-विचार कर सरकार को चलना चाहिए और कोई हल निकालना चाहिए ।

जो भी सरकारें आयीं उन सभी के नेताओं ने यहां के शोषितों, दलितों के सिवाय वोट लेने के, उनके विकास का कोई काम नहीं किया । सिवाय नारे लगाये । पिछली सरकार ने यह घोषणा की कि हरिजनों और किसानों को साहुकारों के कर्जों से मुक्त कर दिया गया है, अब उन्हें सरकारी एजेंसियों से कर्जा मिलेगा । जब हरिजनों को कर्जों से मुक्त कर दिया गया तो साहुकारों से उन्हें कर्जे मिलने बंद हो गये । किसी सरकारी एजेन्सी को आपने वहां स्थापित नहीं किया जिससे उनको कर्जा मिलता । अब हरिजन को अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने बच्चों के लिए कर्जे की समस्या सामने आयी जिसकी कि आपने कोई व्यवस्था नहीं की । अब हरिजन जा कर कहां से कर्जा ले ? उसे बेटी की शादी करनी है, बच्चों का इलाज करना है । इसका नतीजा यह हुआ कि आपके कानून के कारण जो पहले उनके देहातों में अच्छे सम्बन्ध थे वे खराब हो गये ।

आपने जमीन का कानून बनाया । मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं ।

लेकिन केन्द्रीय सरकार को कम से कम यह गारन्टी देनी चाहिए थी । कि 122 बी के अन्तर्गत कोई भी गांव का प्रधान या और कोई सरकारी मशीनरी हरिजनों के विरुद्ध मुकदमे नहीं चला सकेगी । लेकिन मुकदमे चल रहे हैं और हरिजन उजड़ गये हैं । वे अपनी गाय, जेवर और अन्य चीजें बेच-बेच कर मुकदमे लड़ते हैं । आज भी वे मुकदमे चल रहे हैं । इसलिए मैं मकवाना साहब से पूछना चाहूंगा कि आप इस समस्या को हल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं । अगर आप चाहते हैं तो हरिजनों को जो पट्टे दिये गये हैं उनके लिए आप कानून बनायें कि किसी भी हरिजन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा ।

शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कमीशन है । उसके बारे में मैं आपसे डिमाण्ड करूंगा कि उसे आप जुडीशल राइट दो । वरना यह कमीशन किस काम का है । किसी नौकरी के लिए, पदोन्नति के लिए या किसी और चीज के लिए यह कुछ नहीं कर सकता है । आप इस कमीशन को जुडीशल राइट दो ।

बोण्डेड लेबर की समस्या है । आपने शहरों में वर्किंग क्लास के लिए डिप्टी लेबर कमिश्नरों के आफिस बना रखे हैं। देहात के अन्दर बोण्डेड लेबर को मिनिमम वेज ऐक्ट के अनुसार तनख्वाह नहीं मिलती है । इसके लिए आपको ब्लाक स्तर पर ऐसे दफ्तर खोलने चाहिए और उनकी यह ड्यूटी होनी चाहिये कि वे उस इलाके के बोण्डेड लेबरस और लेण्डलेस लेबरस की खोज करें कि वे कितने हैं और उनको मिनिमम वेजिज मिलते हैं या नहीं । यह व्यवस्था आपको ब्लाक स्तर पर करनी चाहिए ।

एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि नक्सलाइट्स के नाम पर जितने लोग मारे गये हैं उनमें 99 प्रतिशत हरिजन और आदिवासी लोग हैं । किसी दूसरी ऊंची कौम के लोग नहीं मारे गये । इसका मुख्य कारण उनका एक्सप्लायटेशन है । सामन्ती शोषण है । इस सामन्ती शोषण से पुलिस भी प्रभावित होती है और आपका प्रशासन भी प्रभावित होता है । जो भी वहां बगावत या आजादी की बात करता है उसको ये सामन्ती लोग नक्सलाइट्स के नाम पर मरवा देते हैं । इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आइन्दा किसी भी हरिजन या आदिवासी को नक्सलाइट्स के नाम पर नहीं मार जाए ।

बोण्डेड लेबर की समस्या का मुख्य कारण आर्थिक है । कुछ हद तक सामाजिक और जातीय कारण भी है । ऐसे हरिजनों, आदिवासी और दबे-पिसे लोगों की आर्थिक दृष्टि से मदद करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं जिससे कि उन्हें बेगार पर किसी के घर न जाना पड़े । क्या आप देहातों में उनके रोजगार; रोजी-रोटी के लिए कोई योजना बना रहे है ताकि बोण्डेड लेबर की समस्या खत्म हो और जिस प्रकार से शहरों में रोजगार के साधन इंडस्ट्रीज वगैरह हैं; दूसरे साधन हैं क्या आप उन्हें देहातों में भी ले जाने की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि आइन्दा यह बोण्डेड लेबर की समस्या न रहे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करता हूं, उससे सहमत हूं कि इस मामले को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए और जल्दी से जल्दी उन लोगों को आइडेंटीफाई करके उनको रीहैब्लीटेट करना चाहिए ।

[श्री योगेन्द्र मकवाना]

गवनमैंट ने जो प्रोग्राम बनाया है उसके मुताबिक मार्च 1982 तक लेबर मिनिस्ट्री का जो टाइम बाउंड प्रोग्राम है उसमें उन लोगों को मार्च 1982 के पहले-पहले उस काम को खत्म करने का ख्याल है ।

कई बातें इसमें ऐसी कही जिसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा । कमीशन को ज्यूडीशल राइट्स देने के बारे में । इस देश की ज्यूडीशली तो इंडिपेंडेंट है ।

श्री धनिक लाल मण्डल : स्टचुटरी राइट तो दीजिए ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : वह कमीशन खुद ही स्टेचुटरी के तहत बना है । जहां तक वेजेज के बारे में कहा गया कि जहां वेजेज नहीं मिलती वहां दिलाने के लिए कुछ करना चाहिए । इसके लिए गवर्नमेंट के जो अफसर हैं वे ब्लाक लेबल तक जाते हैं ।

श्री धनिक लाल मण्डल : मिनिमम वेजज को इंफोर्स करने के लिए क्या कोई एजेंसी है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट गाइड करती है और स्टेट मशीनरी इंफोस करती है । लेबर कोर्ट में उसके केसेस चलते हैं ।

जहां तक हरिजनों को नक्सलाइट बनाकर मारने की बात है उसके बारे में जब तक स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट नहीं आती मैं कुछ कहना मुनासिब नहीं समझता ।

MR. SPEAKER : Now, the House is adjourned till 14.10.

The Lok Sabha adjourned for Lunch, till ten minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at thirteen minutes past fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

ELECTION TO COMMITTEE

CENTRAL ADVISORY BOARD OF ARCHAEOLOGY

THE MINISTER OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRI S.B. CHAVAN): I beg to move :

That in persuance of paragarph I of the Government of India, Archaeological Survey of India, Resolution No. 31/1/80-M dated the 24th November, 1980, the members of this House do proceed to elect in such manner as the speaker may direct, two members from among themselves, to serve as members of the Central Advisory Board of Archaeology, subject to the other provisions of the said Resolution."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is ;

"That in pursuance of paragraph I of the Government of Indian Archaeological Survey of India Resolution No. 31-1-80-M dated the 24th November, 1980, the members of this House do proceed to elect in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves, to serve as members of the Central Advisory, Board of Archaeology, subject to the other provisions of the said Resolution."

The motion was adopted.

NATIONAL SECURITY BILL*

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI ZAIL SINGH) : Sir I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for preventive dentention in certain cases and for matters connected therewith.

MR DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for preventive detention in

* Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Sec. 2, dated 4-12-1980.